न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–02/2020

सूबा राम एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

व्यास यादव एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
01.04.2024	उभय पक्षो की ओर से पैरवी है। आज अभिलेख प्रतिवादी सं0–02 एवं 03 की ओर दिये गये आवेदन दिनांक 18.12.2023 अंतर्गत धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता पर आदेश हेतु नियत है। **आदेश (ORDER)** प्रतिवादी सं0–02 एवं 03 की ओर से अपने आवेदन दिनांक 18.12.2023 में कहा गया है कि प्रस्तुत वाद वादीगण द्वारा मद न0–01 अर्जे नालिश के विभिन्न मदों पर अपने हकियत की घोषणा एवं निषेधाज्ञा हेतु लाया गया है। प्रस्तुत वाद की जानकारी होने के पश्चात् प्रतिवादीगण द्वारा अपने अधिवक्ता के द्वारा अभिलेख का मुआयना कराया गया तो जानकारी हुई कि प्रस्तुत वाद दिनांक 29.06.2022 को प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय हो चुका है तथा वादीगण के द्वारा दिनांक 12.10.2023 को एक साक्षी ध्रुव राम की गवाही भी न्यायालय में कराया जा चुका है। प्रस्तुत वाद वादीगण द्वारा कोरोना के समय दाखिल किया गया था तथा नजारत एवं रजिस्ट्री डाक से नोटिस भी भेजा गया परंतु प्रतिवादीगण को कोई नोटिस प्राप्त नही हुआ। वादीगण द्वारा दिनांक 02.02.2022 को गजट का प्रकाशन कराया गया परंतु प्रतिवादीगण देहात के रहने वाले है तथा कम पढे लिखे है, वहाँ अखबार नही पहुँचता है। जिस कारण वादीगण द्वारा दाखिल वाद की जानकारी नही हो पायी। वादीगण के साक्षी ध्रुव राम जब गाँव में कहे कि वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध केश किया गया है जिसमें साक्षी गवाही दिये है तब प्रतिवादीगण को प्रस्तुत वाद की जानकारी हुई। प्रतिवादीगण जानबुझकर कोई गलती नही किये है। अतः न्यायहित में प्रतिवादीगण के विरूद्ध पारित एक पक्षीय आदेश दिनांक 29.06.2022 को रिकॉल नही किया गया तो प्रतिवादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी तथा न्याय से वंचित हो जायेगा। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि	

न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–02/2020

सूबा राम एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

व्यास यादव एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 01.04.2024	न्यायहित में प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय आदेश दिनांक 29.06.2022 को वापस लेने की कृपा करें। वादीगण की ओर से प्रतिवादी सं0–02 एवं 03 के आवेदन का प्रत्युत्तर दिनांक 29.01.2024 को दाखिल कर कहा गया कि आवेदन कानून एवं तथ्य दोनों दृष्टिकोण से खारिज योग्य है। प्रतिवादीगण के द्वारा एक ही आवेदन में आदेश दिनांक 29.06.2022 के आदेश को वापस लेने तथा बयान तहरीरी को स्वीकृत करने हेतु प्रार्थना किया गया है जो विधि समत नही है। प्रतिवादीगण का यह कहना गलत है कि वादीगण द्वारा कोरोना काल में प्रस्तुत वाद लाया गया है। वास्तविकता यह है कि प्रतिवादीगण को प्रस्तुत वाद की जानकारी शुरू से है परंतु अपनी दबंगता के कारण प्रस्तुत वाद में उपस्थित नही हो रहे थे। अतः आवेदन खारिज किया जाय। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि दिनांक 29.06.2022 को समस्त प्रक्रिया पूर्ण किये जाने के बाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध तामिला की सम्पुष्टि मानते हुये एक पक्षीय कार्यवाही हेतु अभिलेख नियत किया गया। दिनांक 18.12.2023 को प्रतिवादी सं0–02 एवं 03 अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हुआ तथा उसी दिनांक को प्रस्तुत आवेदन प्रतिवादी सं0–02 एवं 03 की ओर से दाखिल किया गया। विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी भी वाद का निस्तारण उभय पक्षों को सुनकर किया जाना चाहिए। जिससे वाद का निस्तारण अंतिम रूप से किया जा सके तथा वादों की बहुलता को रोका जा सके। अतः प्रतिवादी सं0–02 एवं 03 को अपना पक्ष प्रस्तुत कर वाद में संघर्ष करने का अवसर देना न्यायोचित प्रतीत होता है परंतु प्रतिवादी सं0–02 एवं 03 काफी समय के बाद दिनांक 18.12.2023 को न्यायालय में उपस्थित हुए तथा प्रस्तुत वाद में संघर्ष करना चाहते है। अतः न्यायहित में प्रतिवादी सं0–02 एवं	

न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–02/2020

सूबा राम एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

व्यास यादव एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार **01.04.2024**	03 का आवेदन दिनांक 18.12.2023 मो0–6000/– रूपये हर्जे पर स्वीकार करते हुए आदेश दिनांक 29.06.2022 को वापस लिया जाता है। आगामी दिनांक 01.05.2024 वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश नरकटियागंज	